K.N.P. BHARATPUR

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

Regd. No. RJ. 2539.
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

भाद्र 5, गुरुवार, शाके 1903—अगस्त 27, 1981
Bhadra 5, Thursday, Saka 1903—August 27, 1981

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें ।

राजस्व (ग्रुप-8) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 26, 1981

संख्या एफ. 3 (5) (9) राज-8/72:—यह कि राज्य सरकार को संलग्न उपाबंध में परिनिश्चित क्षेत्र को उसमें पाये जाने वाले वन्य जीवों के संरक्षण, प्रचारण एवं उनके विकास व पर्यावरण के प्रयोजनार्थ उसके परिस्थितिक, प्राणीजातीय, वनस्पति, भू-संरचना तथा प्राणी विज्ञान संबंधी सहयोजन और महत्व के कारण राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की आवश्यकता प्रतीत होने से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 35 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उक्त क्षेत्र को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने के अपने आशय की घोषणा अधिसूचना संख्या एफ. 3 (5) (9) राज-8/72 दि. 10-3-1981 द्वारा की गई थी, जो राजस्थान राज-पत्र दि. 2-4-1981, जिल्द 33 के अंक 1 के भाग 1 (ख) पृष्ठ 19 (17) पर प्रकाशित की गई।

यह कि उक्त अभिप्राय की पूर्ति के संबंध में जिलाधीश, भरतपुर द्वारा नियमानुसार उद्घोषणा जारी की जाकर उक्त राष्ट्रीय उद्यान के परिनिश्चित क्षेत्र के संबंध में अपने हक-हकूकों के निश्चयन हेतु प्रभावित व्यक्तिय से, उक्त उद्घोषणा की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए आव्हान किया गया था।

यह कि निर्धारित अवधि में उक्त राष्ट्रीय उद्यान के परिनिश्चित क्षेत्र में अपने हक-हकूकों के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है एवं उक्त क्षेत्र से संबंधित सभी हक-हकूक राज्य सरकार में निहित हो चुके हैं।

अतः वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 35 की उप-धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, संलग्न उपाबंध में परिनिश्चित क्षेत्र को, इस अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित करती है, जिसे कि "केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर" नाम से उद्बोधित किया जावेगा।

उपाबंध

उत्तर—भरतपुर—जयपुर पक्की सडक
पूर्व—पक्की दीवार व कांटेदार तारों की बाड
दक्षिण—पक्की दीवार
पश्चिम—पक्की दीवार

आदेश से,
आनन्द मोहनलाल,
शासन सचिव ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।